कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर

मु0चि0अ0 / त0नि0का0 / 2020–21 / 2924 to 2926 दिनांक – 13.05.2020

1. समस्त कार्यालय अध्यक्ष, जनपद रामपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षिका जिला पुरुष, महिला चिकित्सालय, रामपुर।
2. समस्त चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,रामपुर।

विषयः– सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला / तम्बाकू / अन्य उत्पाद प्रतिबन्धित एवं आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 5375 लखनऊ / दिनांक 13.04.2020 एवं पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8366 लखनऊ / दिनांक 18.03.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड 19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए हेल्पलाइन नम्बर– 18001805145 भी जारी किये गये हैं।

चूँकि प्रदेश में लगभग 29.4% लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं जोकि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान–मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वाइरस (कोविड–19) को फैलने में सहायक हो सकता है।

अतः कोरोना वाइरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खा कर इधर–उधर तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों / उपनियमों अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

o/c

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रामपुर।

मु0चि0अ0 / त0नि0प्रकोष्ठ / 2020–21 / 2927 / 2928 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ। — 1635
2. जिला अधिकारी महोदय, रामपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

o/c

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रामपुर।